

अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति/उपयोग

करयोग्य सेवाओं का एक प्रदाता, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 के अनुसार, इनपुटों तथा पूंजीगत माल पर भुगतान किये गए उत्पाद शुल्क तथा किसी इनपुट सेवा पर भुगतान किये गए सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। कुछ शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन क्रेडिट का उपयोग सेवा कर के भुगतान के प्रति किया जा सकता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/उपयोग के 34 मामले देखे जिनमें ₹ 22.59 करोड़ की राशि शामिल थी, जिसमें से ₹ 1.09 करोड़ 13 मामलों में वसूल किये गए हैं।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

4.1 इनपुट सेवाओं का अनुचित क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) (ए) के अनुसार, इनपुट सेवाओं से, डब्ल्यूसीएस के प्रावधान को छोड़कर, एक भवन अथवा एक सिविल संरचना के निर्माण अथवा निर्माण संविदा के कार्यान्वयन हेतु प्रयुक्त निर्माण सेवाओं एवं निर्माण संविदा के कार्यान्वयन में सेवा भाग को बाहर निकाला गया है।

बिलासपुर कमीशनरी में, मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने डब्ल्यूसीएस पर ₹ 9.03 करोड़ का इनपुट सेवा क्रेडिट लिया था जिसे विशिष्ट रूप से इनपुट सेवा की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति तथा उपयोग हुआ जो वसूली योग्य है।

हमने यह दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.2 शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद दोनों के लिए इनपुट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, अलग अलग लेखा ना बनाने के विकल्प का चयन करने वाले आउटपुट सेवा के किसी प्रदाता के पास नियम 6(3ए) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात नियम 6(3)(i) अथवा 6(3)(ii) के अन्तर्गत क्रमशः छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने अथवा प्रयुक्त इनपुट अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधानों के संबंध में सेवाओं पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट को वापस करने का विकल्प होगा।

20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार सेवा कर से छूट होगी जब आवासीय काम्प्लैक्सों की बिक्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात होती है।

4.2.1 हैदराबाद-IV कमीशनरी में, मैसर्स हिल काउन्टी प्रोपर्टीज लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, मार्च 2014 तक ₹ 44.57 करोड़ के लिए 45 फ्लैटों की बिक्री के लिए डब्ल्यूसीएस के अन्तर्गत छूट प्राप्त की थी। हालांकि, तब से निर्धारिती करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवा के इनपुट सेवा क्रेडिट के संबंध में लेखाओं के पृथक सेट का अनुरक्षण नहीं किया इसलिए निर्धारिती से ₹ 2.67 करोड़ के सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.2.2 चेन्नई (एलटीयू) कमीशनरी में मैसर्स जोनसन लिफ्ट्स प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त डब्ल्यूसीएस दोनों की सामान्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। चूंकि छूट प्राप्त सेवा का मूल्य ₹ 3.67 करोड़ है, इसलिए निर्धारिती से ₹ 20.81 लाख के सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने इसे दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग ने ₹ 20.81 लाख की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2015)।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.2.3 मुम्बई-। (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स विंडसर रियल्टी प्रा.लि. की एसटी-3 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से नियम 6(3)के अन्तिर्गत देय राशि के रूप में ₹ 1.18 करोड़ की राशि को दर्शाया था। हालांकि, किए गए भुगतानों हेतु कॉलम (13.1.3.7) के प्रति इस राशि को नहीं दर्शाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त राशि की निर्धारिती द्वारा वास्तव में अदायगी नहीं की गई थी जिसे वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.2.4 चेन्नई (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स वीए टेक वबाग लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 के बीच छूट प्राप्त तथा करयोग्य सेवाएं प्रदान की थी किन्तु उसने इनपुट सेवाओं पर पृथक लेखाओं का रख-रखाव नहीं किया। उन्होंने सामान्य इनपुट सेवाओं अर्थात् परामर्श दात्री, लेखापरीक्षा शुल्क, विज्ञापन आदि, पर छूट प्राप्त तथा करयोग्य दोनों सेवाओं पर 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 30.09 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जो वसूली योग्य है।

हमने इसे दर्शाया (अक्तुबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 30.09 लाख की राशि वापस कर दी थी।

4.3 सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति

एक सेवा प्रदाता उसके सेवा कार्यकलापों से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर और इनपुटों और/या पूंजीगत माल पर भुगतान

किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त किए गए क्रेडिट का सेवा कर के भुगतान में उपयोग कर सकता है।

4.3.1 मुम्बई-II (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स पटेल रियल्टी (इंडिया) लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने एसटी-3 विवरणियों से देखा कि सितम्बर और अक्टूबर 2013 के दौरान विवरणियों में दर्शाए गए ₹ 3.51 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के बीच अंतर था। इसके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति हुई।

हमने इसे दर्शाया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.3.2 इसी प्रकार, एक अन्य मामले अर्थात् मुम्बई-I (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स वाधवा ग्रुप हाऊसिंग प्रा. लि. में हमने एसटी-3 विवरणियों से देखा कि सितम्बर और अक्टूबर 2012 के दौरान विवरणियों में दर्शाए गए ₹ 1.38 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के बीच अंतर था। इसके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति हुई।

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.3.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अनुसार एक सेवा प्रदाता को इनपुटों, पूंजीगत माल और आऊटपुट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 3(4) ने बताया कि सेनवेट क्रेडिट का उस सीमा तक ही उपयोग किया जाएगा जहां तक ऐसा क्रेडिट उस माह के संबंध में कर के भुगतान हेतु माह के अंतिम दिन पर उपलब्ध है।

कोलकाता (एसटी) कमिश्नरी में **मैसर्स एमरसन नेटवर्क पावर (इंडिया) के** अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान ₹ 57.29 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त एवं उपयोग किया था।

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2104), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया था (मार्च 2015)।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015) ।

4.4 इनपुटों के अनुचित सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) के अनुसार 'इनपुटों' को परिभाषित किया गया है और उक्त को निम्नलिखित हेतु उपयोग किए जा रहे किसी माल से (बी) माध्यम से छूट दी गई है (क) भवन या सिविल संरचना या उसके भाग का निर्माण या कार्यान्वयन या निर्माण कार्य अनुबंध का कार्यान्वयन या (ख) निर्माण कार्य अनुबंध या निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा प्रावधान के प्रावधान को छोड़कर पूंजीगत माल के समर्थन हेतु निर्माण करना या संरचना बनाना। इसके अलावा, सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 का नियम 2ए प्रावधान करता है कि नियम 2ए(ii) के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती ऐसे निर्माण कार्य अनुबंधों में उपयोग किए गए या इनसे संबंधित इनपुटों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्कों तथा सेस के सेनवेट क्रेडिट को लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी में मैसर्स आदर्श नोवल कार्पोरेशन लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान इनपुटों अर्थात्, इलेक्ट्रोड, एंगल, चैनल आदि ₹ 61.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त एवं उपयोग किया था जो अनियमित है।

हमने इसे दर्शाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।